

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1957

(भाग 2--कानूनी आदेश)

भाग 2

कानूनी आदेश

<sup>1</sup>[परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006

राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसरण में, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 है।

2. आंध्र प्रदेश राज्य में के (क) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) स्नातक निर्वाचक-क्षेत्रों और (ग) अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
<b>स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. श्रीकाकुलम स्थानीय प्राधिकारी	श्रीकाकुलम	1
2. विजयनगरम स्थानीय प्राधिकारी	विजयनगरम	1
3. विशाखापटनम स्थानीय प्राधिकारी	विशाखापटनम	2
4. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पूर्व गोदावरी	2
5. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पश्चिम गोदावरी	2
6. कृष्णा स्थानीय प्राधिकारी	कृष्णा	2
7. गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	गुन्टुर	2
8. प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकाशम	1
9. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर	1
10. चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	चित्तूर	2
11. कडपा स्थानीय प्राधिकारी	कडपा	1
12. अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	अनन्तपुर	2
13. कुरनूल स्थानीय प्राधिकारी	कुरनूल	1
14. महबूबनगर स्थानीय प्राधिकारी	महबूबनगर	1
15. रंगारेड्डी स्थानीय प्राधिकारी	रंगारेड्डी	1
16. हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी	हैदराबाद	2
17. मेडक स्थानीय प्राधिकारी	मेडक	1
18. निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी	निजामाबाद	1
19. आदिलाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आदिलाबाद	1
20. करीमनगर स्थानीय प्राधिकारी	करीमनगर	1
21. वारंगल स्थानीय प्राधिकारी	वारंगल	1
22. खम्माम स्थानीय प्राधिकारी	खम्माम	1
23. नलगौंडा स्थानीय प्राधिकारी	नलगौंडा	1

<sup>1</sup> देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 1605 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2006.

**परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1957**  
(भाग 2--कानूनी आदेश)

1	2	3
<b>स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. श्रीकाकुलम-विजयनगरम-विशाखापटनम स्नातक	श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापटनम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुंटुर स्नातक	कृष्णा, गुंटुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडपा-अनन्तपुर-कुरनूल स्नातक	कडपा, अनन्तपुर, कुरनूल	1
6. महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद-स्नातक	महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद	1
7. मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर स्नातक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
8. वारंगल-खम्माम-नलगोंडा स्नातक	वारंगल-खम्माम-नलगोंडा	1
<b>अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. श्रीकाकुलम- विजयनगरम- विशाखापटनम अध्यापक	श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापटनम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी अध्यापक	पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुंटुर अध्यापक	कृष्णा, गुंटुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर अध्यापक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडपा-अनन्तपुर-कुरनूल अध्यापक	कडपा, अनन्तपुर, कुरनूल	1
6. महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद-अध्यापक	महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद	1
7. मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर अध्यापक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
8. वारंगल-खम्माम-नलगोंडा अध्यापक	वारंगल-खम्माम-नलगोंडा	1

3. इस आदेश में जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अंदर 1 अगस्त, 2006 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रतिनिर्देश है ।]

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957  
(भाग 2--कानूनी आदेश)

<sup>1</sup>परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 33 की उपधारा (3) के अनुसरण में राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957 कहा जा सकेगा ।

2. मध्य प्रदेश राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
<b>स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
मध्य प्रदेश पश्चिम(स्नातक)	भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर खंड	4
मध्य प्रदेश (पूर्व)(स्नातक)	जबलपुर, रीवा, बिलासपुर और रायपुर खंड	4
<b>शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
मध्य प्रदेश पश्चिम(शिक्षक)	भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर खंड	4
मध्य प्रदेश (पूर्व)(शिक्षक)	जबलपुर, रीवा, बिलासपुर और रायपुर खंड	4
<b>स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
भोपाल (स्थानीय प्राधिकारी)	भोपाल खंड	6
ग्वालियर (स्थानीय प्राधिकारी)	ग्वालियर खंड	3
इन्दौर (स्थानीय प्राधिकारी)	इन्दौर खंड	7
जबलपुर (स्थानीय प्राधिकारी)	जबलपुर खंड	7
रायपुर (स्थानीय प्राधिकारी)	रायपुर और बिलासपुर खंड	7
रीवा (स्थानीय प्राधिकारी)	रीवा खंड	1

<sup>2</sup>[टिप्पणी--इस सारणी के स्तम्भ 2 में इन्दौर खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस खंड के अन्दर 1 अक्टूबर, 1959 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

<sup>1</sup> देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 3901, तारीख 3 दिसम्बर, 1957.

<sup>2</sup> राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 5 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

## 1परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (महाराष्ट्र) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन <sup>2</sup>[महाराष्ट्र], आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. <sup>3</sup>[महाराष्ट्र] राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्रों, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के आर्बटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

### <sup>4</sup>[सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
<b>स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
<sup>5</sup> [1. मुम्बई स्नातक	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	1]
2. कोंकण खंड स्नातक	ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग जिले	1
3. पुणे खंड स्नातक	पुणे, शोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जिले	1
<sup>6</sup> [4. नासिक खंड स्नातक	नासिक, अहमदनगर, धुले, नंदुरबार और जलगांव जिले	1]
5. औरंगाबाद खंड स्नातक	औरंगाबाद, जलना, बीड, नानदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी जिले	1
<sup>6</sup> [6. अमरावती खंड स्नातक	अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा और यवतमाल जिले	1]
7. नागपुर खंड स्नातक	नागपुर, भंडारा, वर्धा, चन्द्रपुर, गढचिरोली जिले	1
<b>शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
<sup>5</sup> [1. मुम्बई शिक्षक	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	1]
2. कोंकण	ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग जिले	1
3. पुणे खंड शिक्षक	पुणे शोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जिले	1
<sup>6</sup> [4. नासिक खंड शिक्षक	नासिक, अहमदनगर, धुले, नंदुरबार और जलगांव जिले	1]
5. औरंगाबाद खंड शिक्षक	औरंगाबाद, जलना, बीड, नानदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी जिले	1
<sup>6</sup> [6. अमरावती खंड शिक्षक	अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा और यवतमाल जिले	1]
7. नागपुर खंड शिक्षक	नागपुर, भंडारा, वर्धा, चन्द्रपुर, गढचिरोली जिले	1
<b>स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
<sup>5</sup> [1. मुम्बई-एवं-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	2]
<sup>6</sup> [2. धुले-एवं-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी	धुले और नंदुरबार जिले	1]

<sup>1</sup> देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1411, तारीख, 19 सितम्बर, 1951 और अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1595, तारीख 18 अक्टूबर, 1951.

2. अधिसूचना सं० का०आ० 563(अ), तारीख 6 अगस्त, 1997 द्वारा "मुम्बई" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 22 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (1-5-1960 से) "मुम्बई" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) संशोधन आदेश, 1983 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 517(अ), तारीख 22 जुलाई, 1983] द्वारा सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. अधिसूचना सं० का० आ० 563 (अ), तारीख 8 अगस्त, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

6. अधिसूचना सं० का०आ० 380 (अ), तारीख 25 मई, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3
3. जलगांव स्थानीय प्राधिकारी	जलगांव जिला	1
4. नासिक स्थानीय प्राधिकारी	नासिक जिला	1
5. अहमदनगर स्थानीय प्राधिकारी	अहमदनगर जिला	1
6. थाणे स्थानीय प्राधिकारी	ठाणे जिला	1
7. रायगढ़ एवं रत्नागिरि एवं सिंधुदुर्ग स्थानीय प्राधिकारी	रायगढ़, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिले	1
8. पुणे स्थानीय प्राधिकारी	पुणे जिला	1
9. कोल्हापुर स्थानीय प्राधिकारी	कोल्हापुर जिला	1
10. सांगली एवं सतारा स्थानीय प्राधिकारी	सांगली, सतारा जिले	1
11. शोलापुर स्थानीय प्राधिकारी	शोलापुर जिला	1
12. उस्मानाबाद एवं लातूर एवं बीड स्थानीय प्राधिकारी	उस्मानाबाद, लातूर, बीड जिले	1
13. औरंगाबाद एवं जलना स्थानीय प्राधिकारी	औरंगाबाद और जलना जिले	1
14. परभनी स्थानीय प्राधिकारी	परभनी जिला	1
15. नानदेड स्थानीय प्राधिकारी	नानदेड जिला	1
<sup>1</sup> [16. अकोला एवं वाशिम एवं बुलढाणा स्थानीय प्राधिकारी	अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिले	1]
17. अमरावती स्थानीय प्राधिकारी	अमरावती जिला	1
18. यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी	यवतमाल जिला	1
19. नागपुर स्थानीय प्राधिकारी	नागपुर जिला	1
20. भंडारा स्थानीय प्राधिकारी	भंडारा जिला	1
21. वर्धा एवं चन्द्रपुर एवं गढ़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी	वर्धा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली जिले	1

<sup>2</sup>[3. इस आदेश में जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि यह उस जिले के अन्दर 1 जुलाई, 1998 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है । ]

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 563(अ), तारीख 6 अगस्त, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० 380 (अ), तारीख 25 मई, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

## 1परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन 2[(कर्नाटक)] आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन 2[(कर्नाटक)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. 3[कर्नाटक] राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

### 2[सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
<b>स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. कर्नाटक उत्तर-पूर्व स्नातक	बीदर, गुलबर्ग, रायचूर और कोपला बेलारी जिले	1
2. कर्नाटक उत्तर-पश्चिम स्नातक	बीजापुर और बेलगाम जिले	1
3. कर्नाटक पश्चिम स्नातक	धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले	1
4. कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक	चित्रदुर्ग, तुमकुर और कोलार जिले	1
5. कर्नाटक दक्षिण-पश्चिम स्नातक	शिमोगा, दक्षिण कन्नड़, चिकमगलूर और कोडागु जिले	1
6. कर्नाटक दक्षिण स्नातक	कर्नाटक, मंडया और हसन जिले	1
7. बंगलौर स्नातक	बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले	1
<b>शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. कर्नाटक उत्तर-पूर्व शिक्षक	बीदर, गुलबर्ग, रायचूर और बेलारी जिले	1
2. कर्नाटक उत्तर-पश्चिम शिक्षक	बीजापुर और बेलगांव जिले	1
3. कर्नाटक पश्चिम शिक्षक	धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले	1
4. कर्नाटक दक्षिण-पूर्व शिक्षक	चित्रदुर्ग, तुमकुर और कोलार जिले	1
5. कर्नाटक दक्षिण-पश्चिम शिक्षक	शिमोगा, दक्षिण कन्नड़, चिकमगलूर और कोडागु जिले	1
6. कर्नाटक दक्षिण शिक्षक	कर्नाटक, मंडया और हसन जिले	1
7. बंगलौर स्नातक	बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले	1
<b>स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. बीदर स्थानीय प्राधिकारी	बीदर जिला	1
2. गुलबर्ग स्थानीय प्राधिकारी	गुलबर्ग जिला	1
3. बीजापुर स्थानीय प्राधिकारी	बीजापुर और बागलकोट जिले	2

<sup>1</sup> देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1416, तारीख 19 सितम्बर, 1951.

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 615(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित ।

1	2	3
4. बेलगांव स्थानीय प्राधिकारी	बेलगांव जिला	2
5. उत्तर कन्नड स्थानीय प्राधिकारी	उत्तर कन्नड जिला	1
6. धारवाड़ स्थानीय प्राधिकारी	धारवाड़, हावेरी और गदग जिले	2
7. रायचूर स्थानीय प्राधिकारी	रायचूर और कोप्पला जिले	1
8. बेलारी स्थानीय प्राधिकारी	बेलारी जिला और दावणगेरे जिले का हरपनहल्ली ताल्लुक	1
9. चित्रदुर्ग स्थानीय प्राधिकारी	चित्रदुर्ग जिला और दावणगेरे जिला, चन्नागिरी, होन्नाली और हरपनहल्ली ताल्लुकों को छोड़कर	1
10. शिमोगा स्थानीय प्राधिकारी	शिमोगा जिला और दावणगेरे जिले के चन्नागिरी और होन्नाली ताल्लुक	1
11. दक्षिण कन्नड स्थानीय प्राधिकारी	दक्षिण कन्नड जिला	2
12. चिकमगलूर स्थानीय प्राधिकारी	चिकमगलूर जिला	1
13. हसन स्थानीय प्राधिकारी	हसन जिला	1
14. तुमकुर स्थानीय प्राधिकारी	तुमकुर जिला	1
15. मंड्या स्थानीय प्राधिकारी	मंड्या जिला	1
16. बंगलौर स्थानीय प्राधिकारी	बंगलौर जिला	1
17. बंगलौर ग्रामीण स्थानीय प्राधिकारी	बंगलौर ग्रामीण जिला	1
18. कोलार स्थानीय प्राधिकारी	कोलार जिला	1
19. कोडागू स्थानीय प्राधिकारी	कोडागू जिला	1
20. मैसूर स्थानीय प्राधिकारी	कर्नाटक जिला	2]

3. इस आदेश में जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अन्दर <sup>1</sup>[1 सितम्बर, 1998] को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० का० आ० 615(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999 द्वारा “1 दिसंबर, 1987” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

## 1परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

### 2[सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
<b>स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. बरेली-मुरादाबाद मण्डल स्नातक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफूलै नगर और बिजनौर जिले	1
2. लखनऊ मण्डल स्नातक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3 गोरखपुर-फैजाबाद मण्डल स्नातक	बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, मदरोना, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले ।	1
4.वाराणसी मण्डल स्नातक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्रा जिले ।	1
5. इलाहाबाद-झांसी मण्डल स्नातक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालोन, झांसी और ललितपुर जिले ।	1
6. <sup>3</sup> [कानपुर मंडल स्नातक]	कानपुर नगर और कानपुर देहात तथा उन्नाव जिले	1
7. आगरा मण्डल स्नातक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, महामायानगर, एटा, मैनपुरी, इटावा कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले	1
8. मेरठ मण्डल स्नातक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1
<b>अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. बरेली-मुरादाबाद मण्डल अध्यापक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफूलै नगर और बिजनौर जिले	1
2. लखनऊ मण्डल अध्यापक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
3. गोरखपुर-फैजाबाद मण्डल अध्यापक	बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, पदरोना, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले ।	1
4.वाराणसी खंड अध्यापक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, और सोनभद्रा जिले	1
5. इलाहाबाद-झांसी मण्डल अध्यापक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले ।	1
6. <sup>3</sup> [कानपुर मंडल अध्यापक]	कानपुर नगर और कानपुर देहात तथा उन्नाव जिले	1
7. आगरा मण्डल अध्यापक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा और फर्रुखाबाद जिले	1
8. मेरठ मण्डल अध्यापक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1

<sup>1</sup> देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1414, तारीख 19 सितम्बर, 1991 और अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1595, तारीख 15 अक्टूबर, 1951.

<sup>2</sup> 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 19 द्वारा (9-4-2000 से) सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 1994(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3
<b>स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र</b>		
1. मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण	मुरादाबाद, ज्येतिबाफूलै नगर और बिजनौर ।	1
2. रामपुर-बरेली, स्थानीय प्राधिकरण	रामपुर और बरेली जिले ।	1
3. बदायुं स्थानीय प्राधिकरण	बदायुं जिला ।	1
4. पीलीभीत-शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकरण	पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले।	1
5. हरदोई स्थानीय प्राधिकरण	हरदोई जिला।	1
6. खीरी स्थानीय प्राधिकरण	खीरी जिला।	1
7. सीतापुर स्थानीय प्राधिकरण	सीतापुर जिला।	1
8. लखनऊ-उन्नाव स्थानीय प्राधिकरण	लखनऊ और उन्नाव जिले।	1
9. रायबरेली स्थानीय प्राधिकरण	रायबरेली जिला।	1
10. प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकरण	प्रतापगढ़ जिला।	1
11. सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकरण	सुल्तानपुर जिला।	1
12. बाराबंकी स्थानीय प्राधिकरण	बाराबंकी जिला।	1
13. बहराईच स्थानीय प्राधिकरण	बहराईच और श्रावस्ती जिले ।	1
14. गोंडा स्थानीय प्राधिकरण	<sup>1</sup> [गोंडा और बलरामपुर जिले ]]	1
15. फैजाबाद स्थानीय प्राधिकरण	फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले ।	1
16. बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकरण	बस्ती, संतकबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले।	1
17. गोरखपुर-महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण	गोरखपुर और महाराजगंज जिले।	1
18. देवरिया स्थानीय प्राधिकरण	देवरिया और कुशीनगर जिले।	1
19. आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकरण	आजमगढ़ और मऊ जिले।	1
20. बलिया स्थानीय प्राधिकरण	बलिया जिला ।	1
21. गाजीपुर स्थानीय प्राधिकरण	गाजीपुर जिला।	1
22. जौनपुर स्थानीय प्राधिकरण	जौनपुर जिला।	1
23. वाराणसी स्थानीय प्राधिकरण	वाराणसी, चंदौली और संत रविदास नगर जिले ।	1
24. मिर्जापुर-सोनभद्र स्थानीय प्राधिकरण	मिर्जापुर और सोनभद्र जिले।	1

<sup>1</sup> उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2003, तारीख 19 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3
25. इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण	इलाहाबाद और कौशाम्बी जिले ।	1
26. बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकरण	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले ।	1
27. झांसी-जालोन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकरण	जालौन, झांसी और ललितपुर जिले।	1
28. कानपुर-फतेहपुर स्थानीय प्राधिकरण	कानपुर नगर और कानपुर देहात तथा फतेहपुर जिले।	1
29. इटावा-फरुखाबाद स्थानीय प्राधिकरण	इटावा - फरुखाबाद, कन्नौज और औरैया जिले ।	1
30. आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकरण	आगरा और फिरोजाबाद जिले।	1
31. मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण	मथुरा, एटा और मैनपुरी जिले	2
32. अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकरण	अलीगढ़ और हाथरस जिले।	1
33. बुलंदशहर स्थानीय प्राधिकरण	बुलन्दशहर और गौतमबुद्ध नगर जिले ।	1
34. मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण	मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिले ।	1
35. मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्थानीय प्राधिकरण	मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले ।	1]

<sup>1</sup>[3. इस आदेश में किसी जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अंदर <sup>2</sup>[1 जून, 2006] को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।]

<sup>1</sup> अधिसूचना सं0का0 आ0 930(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं0 का0आ0 1994(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित ।